

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर रजिस्टर्ड

!

पत्र संख्या: ज0सू0अ0-129/2024

दिनांक - मार्च - /2025

महिमा मौर्या निवासी-ग्राम गोरसर सरपती पो0-कलना थाना-विन्धयाचल, पिन-231303

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित 23.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार 2005 के तहत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। आप द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम में धाना विन्धयाचल, कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर से सूचना प्राप्त की गई, प्राप्त सूचना/आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

तदुसार आप अवगत हों।

संलग्नक - वर्क

क्षेत्राधिकारी नगर
जनपद मीरजापुर

प्रतिलिपि - जनसूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपने पत्र संख्या ज0सू0अ0-129/2024 दिनांकित 07.02.2025 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित

११

सेवा में,
श्रीमान जनसूचना अधिकारी
पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जनपद मीरजापुर

विषय-पत्र संख्या ज0सू0 ऑनलाइन 129/24 दिनांक 07/02/25 आवेदिका महिमा मौर्या प्रमोद कुमार मौर्या निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के सम्बंध में आख्या-

महोदय,


निवेदन है कि आप पत्र संख्या उपरोक्त के माध्यम से आवेदिका महिमा मौर्या उपरोक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दुवार सूचना की अपेक्षा की गयी है जो निम्नवत है।

- 1-आवेदिका महिमा मौर्या उपरोक्त व विपक्षी शुभम कुशवाहा पुत्र मनोज कुशवाहा निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के मध्य पानी बहाने को लेकर दिनांक 14/09/24 को गाली गलौज मार पीट हुआ था जिसमें आवेदिका के पक्ष से आवेदिका के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा के तहरीर के आधार पर थानास्थानीय पर NCR N0104/2024धारा 115/352 BNS उसी दिन पंजिकृत कर मजरुबगणों का मेडिकल मुआयना कराया गया था जिसमें विपक्षीगणों के विरुद्ध धारा 170/126/135 BNS की कार्यवाही उसी दिन किया गया है।
- 2-आवेदिका के पति के तहरीर के आधार पर NCR N0104/2024धारा 115/352 BNS बनाम (1)मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली(2)शुभम पुत्र मनोज निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के दिनांक 14.09.24 को पंजीकृत किया गया है जिसमें बीएनएसएस में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मजरुबा महिमा मौर्या का मेडिकल मुआयना दिनांक 14.09.24 को सीएचसी विन्ध्याचल मीरजापुर से नियमानुसार कराया गया था। आवेदक को नकल चिक की एक प्रति देकर न्यायालय चाराबोर्ड हेतु हिटावत किया गया था।
- 3-आवेदिका उपरोक्त व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा उपरोक्त के मध्य पानी बहाने को लेकर दोनो पक्षों में गाली गलौज मार पीट की घटना करीत की गयी है जिसमें आवेदिका पक्ष से NCR N0104/2024धारा 115/352 BNS व विपक्षी पक्ष से NCR N0105/2024धारा 115/352 BNS में दिनांक 14/09/24 को पंजिकृत कराया गया है जिसमें दोनो पक्षों में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135/बीएनएसएस की कार्यवाही नियमानुसार किया गया है। आवेदिका का मेडिकल नियमानुसार सीएचसी विन्ध्याचल मीरजापुर से कराया गया है, जिसमें डाक्टर द्वारा एक्सरे रिपोर्ट हेतु एडवाईज नहीं किया गया है।
- 4-आवेदिका उपरोक्त व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा उपरोक्त के मध्य पानी बहाने को लेकर दोनो पक्षों में गाली गलौज मार पीट की घटना करीत की गयी है जिसमें आवेदिका पक्ष से NCR N0104/2024धारा 115/352 BNS व विपक्षी पक्ष से NCR N0105/2024धारा 115/352 BNS में दिनांक 14/09/24 को पंजिकृत कराया गया है जिसमें दोनो पक्षों में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135/बीएनएसएस की कार्यवाही नियमानुसार किया गया है। आवेदिका का मेडिकल नियमानुसार सीएचसी विन्ध्याचल मीरजापुर से कराया गया है, जिसमें डाक्टर द्वारा एक्सरे रिपोर्ट हेतु एडवाईज नहीं किया गया है।

5-आवेदिका द्वारा बार बार जनसूचना से सूचना मांगी जा रही है जिसकी सूची संलग्नक है।

6-आवेदिका द्वारा बार बार जनसूचना से सूचना मांगी जा रही है जिसकी सूची संलग्नक है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


06/2/25
(विनोद कुमार यादव)

30नि0

थाना विन्ध्याचल मीरजापुर

श्रीमान जी
रिपोर्ट सादर
प्रेषित है।



ह
06/2/25